



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
E-mail- hod.res.uk@gmailcom, Ph. No. 2780290 Website www.res.uk.gov.in



पत्रांक 494 / ग्रा0नि0वि / कनि0अ0स0अ0(सि0) / स्थानान्तरण / 2024-25

दिनांक 10 जून, 2024।


(स्थानान्तरण आदेश)


लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्रावधानों एवं शासनादेश संख्या-120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023, शासनादेश संख्या-120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-198739/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 14.03.2024 के तहत स्थानान्तरण निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है।


क्र0सं0	कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	अन्य विवरण
1	श्री अनुराग शर्मा	हरिद्वार	प्रखण्ड देहरादून (सुगम)	धारा 7-(घ)-(दो) के अन्तर्गत
2	श्री रविन्द्र कुमार	हरिद्वार	प्रखण्ड टिहरी (सुगम)	धारा 7-(घ)-(दो) के अन्तर्गत
3	श्री आकाश झिझानिया	प्रखण्ड पिथौरागढ़	प्रखण्ड हरिद्वार	धारा 17-1-(ख)-(एक) के अन्तर्गत
4	श्री संजय बिष्ट	प्रखण्ड भिकियासैण	प्रखण्ड रुद्रप्रयाग	धारा 17-1-(ख)-(छ:) के अन्तर्गत
5	श्री मुकेश चौहान	प्रखण्ड भिकियासैण	प्रखण्ड पौड़ी	धारा 17-1-(ख)-(छ:) के अन्तर्गत
6	श्री दीपक पंवार	प्रखण्ड चमोली	प्रखण्ड उत्तरकाशी	धारा 17-1-(ख)-(छ:) के अन्तर्गत
7	श्री रघुवीर सिंह नेगी	प्रखण्ड देहरादून (कालसी)	प्रखण्ड टिहरी (सुगम)	धारा 17-1-(ख)-(चार) के अन्तर्गत
8	श्री देवेन्द्र कुमार	प्रखण्ड पौड़ी	प्रखण्ड हरिद्वार	धारा 17-1-(ख)-(चार) के अन्तर्गत
9	श्री संदीप राणा	प्रखण्ड देहरादून (चकराता)	प्रखण्ड उत्तरकाशी	धारा 17-1-(ख)-(छ:) के अन्तर्गत
10	श्री श्याम सुन्दर	मुख्यालय (स्तर-1), देहरादून	प्रखण्ड देहरादून (दुगर्मी)	धारा 17-1-(ख) (सात) के अन्तर्गत
11	श्री ललित मोहन	प्रखण्ड पिथौरागढ़	प्रखण्ड नैनीताल (सुगम)	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-1-(ग) के अन्तर्गत
12	श्री रक्षित वर्मा	प्रखण्ड अल्मोड़ा (ताकुला)	प्रखण्ड उधमसिंहनगर	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-1-(ग) के अन्तर्गत
13	श्री नन्द किशोर	प्रखण्ड नैनीताल (रामगढ़)	प्रखण्ड उधमसिंहनगर	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-1-(ग) के अन्तर्गत
14	श्री अभिनव दीक्षित	प्रखण्ड कोटद्वार (जयहरीखाल)	प्रखण्ड देहरादून (सुगम)	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-1-(ग) के अन्तर्गत

15	श्री तेलू राम	प्रखण्ड कोटद्वार (द्वारीखाल)	प्रखण्ड हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-1-(ग) के अन्तर्गत
16	श्री हेम सिंह	प्रखण्ड कोटद्वार (यमकेश्वर)	प्रखण्ड हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-1-(ग) के अन्तर्गत
17	श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रखण्ड रुद्रप्रयाग	प्रखण्ड हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-1-(ग) के अन्तर्गत

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे। उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 17.06.2024 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20.06.2024 होगी।
- 2- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 5- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 6- प्रखण्ड के अन्तर्गत कार्मिकों के कार्यभार वितरण के समय जिन कार्मिकों का दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण किया गया है, उन कार्मिकों को सुगम क्षेत्र में तैनाती न की जाये, तथा जिन कार्मिकों की सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया है उनको दुर्गम क्षेत्र में तैनाती न दी जाये।
- 7- प्रखण्ड में कार्यरत जिन कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं को एक ही विकास खण्ड में पाँच वर्ष से अधिक का कार्यकाल हो चुका है, उनका अपने स्तर से अधिनियम के अनुसार कार्य विभाजन करना सुनिश्चित करें।
- 8- शासनादेश संख्या-198739/2023/XXX (2)E-33080 दिनांक 14.03.2024 के अनुसार क्रमांक 3 से 10 पर अंकित कार्मिकों का स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 9- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/उपखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।


 मुख् अभियन्ता (स्तर-1),
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



 10/06/24





 11/06/24

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उत्तरकाशी/टिहरी/चमोली/रुद्रप्रयाग/कोटद्वार/पौड़ी/नैनीताल/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा/भिकियासैण/पिथौरागढ़/बागेश्वर।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 9- वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
- 10- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- 11- व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय आदेश पत्र बन्ध।
- 12- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

 10/6/23
 10/06/24




कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
E-mail- hod.res.uk@gmail.com, Ph. No. 2780290 Website www.res.uk.gov.in



पत्रांक 492 / ग्रा0नि0वि / कनि0अभि0 / अपर सहा0अभि0 / (वि0 / यॉ0)स्था0 / 2024-25 दिनांक 10 जून, 2024।

(स्थानान्तरण आदेश)

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023, शासनादेश संख्या-120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-198739/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 14.03.2024 के तहत स्थानान्तरण निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संरुति के आधार पर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है।

क्र0सं0	कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	अन्य विवरण
1	श्री शेखर पाण्डेय	प्रखण्ड अल्मोड़ा	प्रखण्ड भिकियारौण	धारा-17-1-(क) के अन्तर्गत

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11 एवं 12) के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे। उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 17.06.2024 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20.06.2024 होगी।
- 2- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),

ग्रामीण निर्माण विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाऊँ मण्डल भीमताल, नैनीताल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा/भिकियारौण।
- 5- जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/भिकियारौण।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा अधिशासी अभियन्ता, अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/भिकियारौण।
- 9- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- 10- व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 11- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),

ग्रामीण निर्माण विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
E-mail- hod.res.uk@gmail.com, Ph. No. 2780290 Website www.res.uk.gov.in



पत्रांक 493 / ग्रा0नि0वि0 / कनि00अभि0(प्रा0) / स्थानान्तरण / 2024-25
(स्थानान्तरण आदेश)

दिनांक 10 जून, 2024।

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राक्धानों एवं शासनादेश संख्या-120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023, शासनादेश संख्या-120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-198739/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 14.03.2024 के तहत स्थानान्तरण निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता (प्रावि0) का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है।

क्र0सं0	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	अन्य विवरण
1	श्री नरेश नेगी	प्रखण्ड घनसाली	प्रखण्ड टिहरी	धारा-17-1-(ग) के अन्तर्गत

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11 एवं 12) के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित कनिष्ठ अभियन्ता (प्रावि0) निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे। उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 17.06.2024 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20.06.2024 होगी।
- 2- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),

ग्रामीण निर्माण विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

5/10/24
10/6/24

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाऊं मण्डल भीमताल, नैनीताल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी/घनसाली।
- 5- जिलाधिकारी, टिहरी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी टिहरी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी अधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड घनसाली/टिहरी।
- 9- महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- 10- व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 11- विभागीय वैबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),

ग्रामीण निर्माण विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

5/10/24
10/6/24

